शीर्ष वरीयता / अत्यावश्यक

संख्या–1057/xxiv–नवसृजित / 2016–13(18) / 2010टी0सी0

प्रेषक,

वी0एस0 पुण्डीर,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित **देहरादूनः दिनांक 03 ~~दिसम्बर, 2016~~ जनवरी 2017**

विषयः– **दिनांक 02 मई, 2015 को स0अ0एल0टी0 संवर्ग से प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति संशोधन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अवगत है कि दिनांक 31.10.2013 को सहायक अध्यापक (एल0टी0) से प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति के फलस्वरूप रा0इ0का0 / रा0बा0इ0का0 में तैनाती संशोधन के संदर्भ में शासनादेश संख्या–155 / xxiv–नवसृजित / 2016–13(18) / 2010 टी0सी0 दिनांक 23.02.2015 द्वारा संबंधित प्रवक्ताओं को पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में तैनाती संशोधन की अनुमति प्रदान की गई, जिसके क्रम में इस शासनादेश से आच्छादित 96 शिक्षक / शिक्षिकाओं के पदोन्नति पर पदस्थापना आदेश निदेशालय द्वारा दिनांक 02 मई, 2015 को निर्गत किए गये। तद्क्रम में महानिदेशालय के आदेश संख्या–43 दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा उक्त पदोन्नति संशोधन आदेश निरस्त किए जाने पर निदेशालय स्तर से दिनांक 06 जून, 2015 द्वारा उक्त पदोन्नति संशोधन आदेश निरस्त किये गये।

2– प्रश्नगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23.11.2016 को विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार महानिदेशालय के आदेश संख्या–43 / सेवा0अरा0ज0 / 2015–16 दिनांक 15 मई, 2015 विषयक उक्त पदोन्नति संशोधन निरस्तीकरण आदेश के संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ–5 अनुसार एतद्द्वारा संशोधन एवं दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैं:–

क्र0सं0	विवरण	संख्या	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	वर्तमान में पदोन्नति संशोधित विद्यालय में प्रवक्ता पद पर ही कार्यरत् शिक्षकों की संख्या	56	प्रवक्ता पद पर वेतन आहरित हो रहा है।	इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अतः इन पर निरस्तीकरण आदेश का प्रभाव शून्य माना जाएगा।
2	पदोन्नति संशोधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों की संख्या	20	स0अ0एल0टी0 में ही कार्यरत्	इनके द्वारा पदोन्नति स्वयं द्वारा अस्वीकार्य मानी जायेगी।

3	पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके शिक्षकों की संख्या:–	11	पूर्व में ही प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण	इन पर निरस्तीकरण का प्रभाव नहीं है।(दिनांक 23.02.2015 व निरस्तीकरण आदेश दोनों ही इन पर प्रभावी नहीं।)
4	पदोन्नति संशोधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत वापस एल0टी0 में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की संख्या–	05	वर्तमान में एल0टी0 में कार्यरत	चूंकि आदेश का पालन कर चुके थे, अतः इन पर भी निरस्तीकरण आदेश का प्रभाव शून्य माना जायेगा, अर्थात् इन्हें पदोन्नत माना जायेगा।
5	पदोन्नति संशोधन पर प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सेवानिवृत्ति अथवा प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत एवं कार्यरत	04	पदोन्नत हो चुके हैं।	निरस्तीकरण आदेश का प्रभाव शून्य होगा।

भवदीय

(वी0एस0पुण्डीर)
अनु सचिव